सं॰-385 / उन्तीस(2)06-2(14पे0) / 2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2007

विषयः—अल्मोड़ा जलोत्सारण योजना जोन—।।। के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006—07 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या क्यू—12047 /1/ 2004—सीपीएचईईओ, दिनांक 07 जुलाई, 2004 द्वारा अल्मोड़ा जलोत्सारण योजना जोन—।।। के प्राक्कलन रू0 810.00 लाख पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। शासनादेश संख्या 2079/ उन्तीस/ 04/02—(—14पे0)/2004, दिनांक 22.09.2004 द्वारा उक्त योजना के निर्माण कार्यो के कियान्वयन हेतु रू0 400.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तत्सम्बंधी आपके पत्र संख्या 4026/धनावंटन प्रस्ताव/ दिनांक 18.10. 06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त योजना पर चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 में रू0 84.96 लाख (रू0 चौरासी लाख छियानबे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22.09.2004 में निर्धारित शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

2— उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराचंल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी ।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4—कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

5— आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

6– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

7– जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्यो को पूर्ण न करने पर 10प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत से निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

8– मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

9–उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एंव सफाई – आयोजनागत –107– मल निकासी सेवायें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना –01–अल्मोड़ा में सीवरेज सिस्टम का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0)–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–2311/XXVII(2)/2007 दिनांक 12 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 385/उन्तीस(2)/06–2(14पै0)/2004तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त कुमॉयू मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10 निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव